अजमेर
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अशोक बनाम कमली वगैरह (2025/185)

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री रूपक शर्मा श्री सुण्डाराम जाट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

अशोक बनाम कमली वगैरह (2025/185)

01.05.2025

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के साथ मिली भगत करके माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की आड में सम्पूर्ण भूमि से अपीलांट को मौके से बेदखल करने पर आमादा है एवं वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर उद्वत्त है इस कारण अपील प्रस्तुत की है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष सिद्ध है क्योंकि उक्त विवादित आराजी में अपीलांट एक खातेदार है एवं कब्जा काश्त एवं उपयोग–उपभोग कर रहा है जिसमें अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडेन्टस द्वारा मौके से बेदखल करने पर एवं अन्य दीगर व्यक्ति को बैचान करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टस अपने गलत मन्सुबों में कामयाब हो जायेंगे तो अपीलांट को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 अशोक बनाम अर्जुन वगैरह प्रार्थना पत्र संख्या 242/2023 में पारित आदेश कि क्रियान्विति को ताफैसला अपील स्थगित किया जावे साथ ही वादग्रस्त आराजी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 136, 910/135 के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश न्यायहित में फरमावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि अपीलांट को दिनांक 09.10.2023 में एकपक्षीय सुना जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी तक अंतरिम स्थगन जारी किया गया था तथा दिनांक 07.04.2025 को उभयपक्ष को विधिवत रूप से सुना जाकर विधि अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 को आदेश पारित किया गया है। दिनांक 16.04.2025 को जारी आदेश भी अंतरिम आदेश ही है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 04.06.2025 नियत है, जिसका अंतिम निस्तारण अभी शेष है अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 09.10.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश किया गया, जिसे दर्ज कर प्रार्थी/अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 09.11.2023 नियत की गई। तत्पश्चात अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया गया तथा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर आगामी पेशी दिनांक 04.06.2025 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

लगातार....

न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्यय एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner